

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी**  
**पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-1 (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :- 218/2025  
दायर दिनांक :- 01.09.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/496  
निर्णय दिनांक :- 07.04.2026

1. प्रियंका मीणा पत्नी दीपक जाति मीणा निवासी प्लाट नं. 4 स्वरूप विहार एक्सटेंशन, नियर कल्याण हैरिटेज होटल शक्ति रोड़, जगतपुरा जयपुर

—वादिनी

**बनाम**

1. अर्जुनराम पुत्र मानाराम जाति भील निवासी हासमपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. ओमप्रकाश पुत्र परमाराम जाति भील निवासी हासमपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. मीरादेवी पत्नी परमाराम जाति भील निवासी हासमपुरा तहसील बाप जिला फलोदी (विलोपित)
4. रूपेशकुमार पुत्र अनोपाराम जाति मीणा निवासी-244 भीनमाल बाईपास वार्ड संख्या 11 रामदेव कॉलोनी जालोर जिला जालोर
5. सोनाराम पुत्र परमाराम जाति भील निवासी हासमपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. बाबूराम पुत्र लाखाराम जाति भील निवासी भीलों की ढाणी हंसादेश तह. लोहावट जिला फलोदी
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी



**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

- उपस्थित :-1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादिनी  
2. श्री पपुराम मेगवाल अधिवक्ता प्रति.सं. 6  
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

**—:: निर्णय ::—**

वादिनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम हासमपुरा पटवार क्षेत्र चारणाई तहसील बाप में खसरा नम्बर 13/2 रकबा 15.3780 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 11.5497 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हिस्से अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज है इसी अनुसार उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की राजस्व अभिलेख में सामलाती दर्ज है। वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1,3,4 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही अमल

*Satya*  
सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)

में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 2 व 5 की और से अधिवक्ता श्री विरेन्द्रसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 6 की और से अधिवक्ता श्री पपुराम मेगवाल ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2,5,6 जवाब पेश न कर प्राथमिक डिक्री जारी करने में सहमति प्रदान की गई। वादी के साक्ष्य कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनकर ग्राम हासमपुरा पटवार क्षेत्र चारणाई तहसील बाप में खसरा नम्बर 13/2 रकबा 15.3780 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 11.5497 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अन्तिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना करते हुवे तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

#### क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम हासमपुरा पटवार क्षेत्र चारणाई तहसील बाप में खसरा नम्बर 13/2 रकबा 15.3780 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 11.5497 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	प्रियका मीणा पत्नी दीपक जाति मीणा हिस्सा पूर्ण सा. प्लॉट नम्बर 4 स्वरूप विहार एक्टेंशन नियर कल्याण हैरिटेज होटल शक्ति रोड़ जगतपुरा जयपुर खातेदार	हासमपुरा	13/2 12	2.9901 हैक्टेयर 3.4330 हैक्टेयर	बी-4

*Satyajit*  
सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)

2	रूपेश कुमार पुत्र अनोपाराम हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा. 244 भीनमाल बाई पास रोड़ वार्ड संख्या 11 रामदेव कॉलोनी जालोर जिला जालोर खातेदार। नोट:- रूपेश कुमार के हिस्से पर सी.बी.आई. जांच विचाराधीन होने का स्थगन नोट पूर्वानुसार यथावत दर्ज रहेगा।	हासमपुरा	13/2	5.1260 हैक्टेयर	बी-4
3	ओमप्रकाश पुत्र रमाराम जाति भील सा. देह खातेदार	हासमपुरा	13/2	1.2815 हैक्टेयर	बी-4
4	अर्जुनराम पुत्र मानाराम जाति भील हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार	हासमपुरा	12 13/2	4.1197 हैक्टेयर 5.1260 हैक्टेयर	बी-4
5	बाबूराम पुत्र लाखाराम जाति भील सा. भीलों की ढाणी हंसादेश (लोहावट) खातेदार नोट:- बाबूराम के हिस्से पर सी.बी.आई. जांच विचाराधीन होने का स्थगन नोट पूर्वानुसार यथावत दर्ज रहेगा।	हासमपुरा	14/1 12	0.8094 हैक्टेयर 3.3103 हैक्टेयर	बी-4
6	मीरादेवी पत्नी परमाराम जाति भील सा. देह खातेदार	हासमपुरा	12 13/2	0.6867 हैक्टेयर 0.8544 हैक्टेयर	बी-4

नोट:- खातेदार रूपेश कुमार एवं बाबूराम के हिस्से पर सी.बी.आई. जांच विचाराधीन होने का स्थगन नोट पूर्वानुसार यथावत दर्ज रहेगा।

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Saty...*  
(सत्य नारायण-I, R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपस्थपद अधिकारी  
बाप (फलोदी)

## अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-I (आर.ए.एस.)

1. प्रियका मीणा पत्नी दीपक जाति मीणा निवासी प्लाट नं. 4 स्वरूप विहार एक्सटेंशन, नियर कल्याण हैरिटेज होटल शक्ति रोड़, जगतपुरा जयपुर

—वादिनी

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र मानाराम जाति भील निवासी हासमपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. ओमप्रकाश पुत्र परमाराम जाति भील निवासी हासमपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. मीरादेवी पत्नी परमाराम जाति भील निवासी हासमपुरा तहसील बाप जिला फलोदी (विलोपित)
4. रूपेशकुमार पुत्र अनोपाराम जाति मीणा निवासी-244 भीनमाल बाईपास वार्ड संख्या 11 रामदेव कॉलोनी जालोर जिला जालोर
5. सोनाराम पुत्र परमाराम जाति भील निवासी हासमपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. बाबूराम पुत्र लाखाराम जाति भील निवासी भीलों की ढाणी हंसादेश तह. लोहावट जिला फलोदी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 218/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे सत्य नारायण-I, पीठासीन अधिकारी व हाजिर श्री मदनसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम हासमपुरा पटवार क्षेत्र चारणाई तहसील बाप में खसरा नम्बर 13/2 रकबा 15.3780 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 11.5497 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	प्रियका मीणा पत्नी दीपक जाति मीणा हिस्सा पूर्ण सा. प्लाट नम्बर 4 स्वरूप विहार एक्सटेंशन नियर कल्याण हैरिटेज होटल शक्ति रोड़ जगतपुरा जयपुर खातेदार	हासमपुरा	13/2 12	2.9901 हैक्टेयर 3.4330 हैक्टेयर	बी-4
2	रूपेश कुमार पुत्र अनोपाराम हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा. 244 भीनमाल बाई पास रोड़ वार्ड संख्या 11 रामदेव कॉलोनी जालोर जिला जालोर खातेदार। नोट:- रूपेश कुमार के हिस्से पर सी. वी.आई. जांच विचाराधीन होने का स्थगन नोट पूर्वानुसार यथावत दर्ज रहेगा।	हासमपुरा	13/2	5.1260 हैक्टेयर	बी-4

Saty ..  
सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)

3	ओमप्रकाश पुत्र रमाराम जाति भील सा. देह खातेदार	हासमपुरा	13/2	1.2815 हैक्टेयर	बी-4
4	अर्जुनराम पुत्र मानाराम जाति भील हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार	हासमपुरा	12 13/2	4.1197 हैक्टेयर 5.1260 हैक्टेयर	बी-4
5	बाबूराम पुत्र लाखाराम जाति भील सा. भीलों की ढाणी हंसादेश (लोहावट) खातेदार नोट:- बाबूराम के हिस्से पर सी.बी.आई. जांच विचाराधीन होने का स्थगन नोट पूर्वानुसार यथावत दर्ज रहेगा।	हासमपुरा	14/1 12	0.8094 हैक्टेयर 3.3103 हैक्टेयर	बी-4
6	मीरादेवी पत्नी परमाराम जाति भील सा. देह खातेदार	हासमपुरा	12 13/2	0.6867 हैक्टेयर 0.8544 हैक्टेयर	बी-4

नोट:- खातेदार रूपेश कुमार एवं बाबूराम के हिस्से पर सी.बी.आई. जांच विचाराधीन होने का स्थगन नोट पूर्वानुसार यथावत दर्ज रहेगा।

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

वसूल व मुहर अदालत के आज तारीख 07.04.2026 को जारी की गई।



*Satiya ..*  
(सत्य नारायण .. R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर  
बाबूप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।